संख्या-699/2025/2250/22-2-2024-17(397)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संजय पुत्र रामनिवास, निवासी जनपद-मऊ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-38779/ प्रोबे0(2)/261/2023 (एम0-30.11.2023), दिनांक 19.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संजय पुत्र रामनिवास, ग्राम-मालव, थाना-मुहम्मदाबाद, जनपद-मऊ का निवासी है। दिनांक **28.05.2004** की रात्रि समय **02:30** बजे घटित हुई। वादी चन्द्रबली प्रसाद के पुत्रगण अवधेश, अनिल से अभियुक्तगण संजयराम व रन्धे की बुआ गिरजा से अवैध संबंधों को लेकर विवाद हुआ था। इसी के कारण बंदी ने अपने **01** अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के परिवार पर सोते समय प्रेट्रोल डालकर **03** व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 206/2004 भा0द0वि0 की धारा-302,436,326 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-03 मऊ के आदेश दिनांक 28.10.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आदेश दिनांक 28.05.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17-12-2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 06 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 17-12-2024 तक 42 वर्ष 04 माह 16 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। किमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 29.05.2023 में अंकित किया गया कि बंदी की रिहाई के संबंध में किसी भी प्रकार की राय देना न्यायोचित्त एवं विधि सम्मत नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनाक 28.05.2004 को रात्रि समय 02.30 बजे घटित हुई। वादी चन्द्रबली प्रसाद के पुत्रगण अवधेश, अनिल से अभियुक्तगण संजयराम व रन्चे की बुआ गिरजा से अवैध संबंधों को लेकर विवाद हुआ था। इसी के कारण बंदी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के परिवार पर सोते समय प्रेट्रोल डालकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। किमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनान वीध श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजय पुत्र रामनिवास को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संजय (बन्दी संख्या-319/2019) पुत्र रामनिवास, निवासी जनपद-मऊ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-699/2025/2250(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।